अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2003

का.आ. 525(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 21 सितम्बर,2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 850 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भावनगर वृद्धाश्रम ट्रस्ट, प्लॉट सं0 1260/61, घोघा सर्किल, वृद्धाश्रम (जीवन संध्या सुश्रूषा धाम) कृष्णानगर, भावनगर-1 , गुजरात द्वारा भवन निर्माण, उपस्करों की खरीद, साज सज्जा/फिक्सचर्स तथा वृद्धाश्रम (जीवन संध्या सुश्रूषा धाम) , भावनगर, गुजरात की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भावनगर वृद्धाश्रम ट्रस्ट, प्लॉट सं0 1260/61, घोघा सर्किल, वृद्धाश्रम (जीवन संध्या सुश्रूषा धाम) कृष्णानगर, भावनगर-1 , गुजरात द्वारा चलाई जा रही भवन निर्माण, उपस्करों की खरीद, साज सज्जा/फिक्सचर्स तथा वृद्धाश्रम (जीवन संध्या सुश्रूषा धाम) , भावनगर, गुजरात की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण् वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र पाँच करोड़ पचास लाख रूपए (एक करोड़ पच्चीस लाख रूपए की कार्पस निधि सहित) की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 116-2003/फा. सं. एन.सी.-53/2003]
जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

1321 GI/02-2